कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह

Tel. 07812 – 222779(0), wrddamoh@gmail.com

पत्र कमांक 629 /कार्य / दमोह /2022 / दमोह दिनांक 05/04/2022

प्रति,

मुख्य अभियंता,
धसान केन कछार सागर (म0प्र0)

विषयः- जिला दमोह के अंतर्गत पारना लधु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 55.3 हेक्टेयर वन प्रकरण की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने बावत।

संदर्भः- आपका पत्र क्र. 596/कार्य/ सागर दिनांक 15/03/22

उपरोक्त विषयांतर्गत में संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि पारना जलाशय योजना के वन प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 363/कार्य/2022 दमोह दिनांक 23/02/22 के द्वारा कार्यपालन यंत्री कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय भोपाल की ओर प्रेषित किया जा चुका है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

(शुभम् अग्रवाल)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग दमोह

पृ0 कमांक 629 A /कार्य / दमोह /2022 / दमोह दिनांक 05/04/2022

प्रतिलिपि,

1. अधीक्षण यंत्री जलसंसाधन मंडल सागर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालनयंत्री कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय विश्वेश्वरैया भवन, कोलार तिराहा लिंक रोड भोपाल की ओर प्रेषित।
3. वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः-

(शुभम् अग्रवाल)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग दमोह

Compliance report of Diversion of 55.3 ha. Of forest land for construction of Parna Minor Irrigation Project

NO.	Condition	Favour
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	Agree
2	The State Government shall submit complete compliance of FRA prior to stage II approval;	Agree
3	No tree felling shall be allowed. The tree shall be allowed to be retained in the submergence area, however the cost of trees enumerated in the area proposed for diversion shall be deposited as per existing procedure;	Agree
4	It is noticed that position of CA area is under agricultural fields/encroachment. State government shall ensure that the non-forest area is free from encroachments and same is transferred and mutated in favour of forest department prior to stage II approval;	Agree
5	The Compensatory A forestation shall be done over equal non-forest land (NFL) to the forest area proposed to be diverted within a period of three years with effect from the date of issue of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department at the cost of the user agency. At least 1000 saplings per hectares shall be planted over 55.3 ha. (55300 plants). If this is not possible to plant these many seedlings in the identified NFL, the balance seedlings will be planted in degraded forest land as per the prescriptions of the Working Plan at the cost of the User agency. In such case CA cost will be revised and duly approved by competent authority and deposited online in the CAF managed by CAMPA;	Agree
6	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale;	Agree
7	The non-forest land to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department for raising Compensatory A forestation shall be notified as reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act. The Nodal officer must report compliance within a period of 6 month from the date of grant of final approval and send a copy of the notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the local Forest Act as the case may be, to this Ministry for information and record,	Agree
8	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online portal. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years,	Agree
9	The User Agency shall provide additionally 25% of the CA cost towards Soil and Moisture Conservation measures in the proposed CA area as per site requirement and the said amount may be deposited in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online e-portal only;	Agree
10	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.01.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5 3/2007-FC dated 05.02.2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned;	Agree
11	Any fund received from the user agency under the project and deposited in the State Forest Department account, except the funds released for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred through online portal into Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned;	Agree
12	The user agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage -I clearance;	Agree
13	At the time of payment on the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	Agree
14	The State Government shall submit a certificate, that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances, under the signature not below the rank of Nodal Officer (FCA) in the State Government;	Agree
15	The User agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required;	Agree
16	A Plan for Conservation of Wildlife will be made by the user agency in consultation with the CCF (Wildlife) to be implementation at the User Agency's cost.	Agree

17	The State Government shall ensure that the forest land located between FRL. and the FRL-4 meters may be afforested by planting appropriate indigenous tree species;	Agree
18	The User Agency shall carry out muck/silt disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down;	Agree
19	The dumping area for muck/silt disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping materials in place. Stabilization and reclamation of such dumping sties shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per plan;	Agree
20	The User Agency shall undertake a forestation along the periphery of the reservoir,	Agree
21	The User agency shall provide free water for the forestry related projects;	Agree
22	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	Agree
23	No labour camp/huts shall be established on the forest land;	Agree
24	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person;	Agree
25	Felling of tress on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department,	Agree
26	User agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting tress are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	Agree
27	State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC (pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013 in support thereof;	Agree
28	The user agency shall provide alternate fuels to the laborers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	Agree
29	Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;	Agree
30	The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future;	Agree
31	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife,	Agree
32	The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly, and	Agree
33	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) Order(s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project:	Agree

S.K. JATAV
EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION
DAMOH(M.P.)

(S.K.JATAV)
Executive Engineer
Water Resources Division Damoh

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दमोह वनमण्डल दमोह (म.प्र.)

पता–कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज के पास, सिविल वार्ड नं–4, जिला दमोह, (म.प्र.) पिन–470661

ई–मेल–dfoidmoh@mp.gov.in फोन नं. 07812.222541 फेक्स –227205

क्रमांक/मा.चि./2021/273 दमोह, दिनांक 18-1-22

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश
भोपाल

विषयः– जिला दमोह के अंतर्गत पारना लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 55.30 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः–
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र कमांक एफ.नं. 8–39/2018–एफ.सी. दिनांक 29.08.2018.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध म.प्र.भोपाल का पत्र कमांक एफ–3/86/2017/10–11/12/2654 दिनांक 04.09.2018.
3. इस कार्यालय का पत्र कमांक/मा.चि./2018/278 दिनांक 29.09.2018, 2578 दिनांक 29.09.2018, 1768 दिनांक 26.05.2020.
4. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह का पत्र कमांक/2121 दिनांक 16.11.2021.

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालयीन पत्र दिनांक 26.05.2020 द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दिनांक 29.08.2018 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के संदर्भित पत्र दिनांक 04.09.2018 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक 01 से 33 तक का पालन प्रतिवेदन (टेबुलर फार्म में) प्रस्तुत करने हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह को लेख किया गया था।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के पत्र दिनांक 16.11.2021 के माध्यम से प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्त कमांक 01 से 33 तक का पालन प्रतिवेदन (टेबुलर फार्म में) एवं राशि जमा की पावती अभिस्वीकृति की छायाप्रति संलग्न है। जो संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

(एम.एस.चड़के भा.व.से.)
वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल (सा.) दमोह (म.प्र.)

दमोह, दिनांक 18-1-22

पृ.क्रमांक/मा.चि./2021/274

प्रतिलिपिः–
1. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर, की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल (सा.) दमोह (म.प्र.)

IS भुअजोग

Executive Engineer
81
20/01/2022

Copy to SDO Jabera – 24.01.22

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह

Tel. 07812 – 222779(O), 07812-229236(Fax) wrddamoh@Gmail.com

पत्र क्र. 2121 कार्य / 2021 दमोह दिनांक 16/11/2021

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल
दमोह (म.प्र.)

विषयः– जिला दमोह के अंतर्गत पारना लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 55.30 हेक्ट. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–
1. आपका पत्र क्र. क/मा.चि./2018/2578 दमोह दिनांक 29.09.2018
2. कार्यालयीन पत्र क्र. 789/कार्य/दमोह दिनांक 31.03.2021

———————00———————

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से प्रकरण में अधिरोपित शर्त क्र. 8, 9 एवं 10 के परिपालन में संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से चालान रू. 58535513.00 का जनरेट हुआ था परंतु राशि की उपलब्धता 585.00 लाख की थी जो केम्पा मद में जमा की जाकर चालान की प्रति पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी थी। शेष राशि माह– जुलाई 2021 में रू. 35513.00 उपलब्ध हुई थी जिसकी राशि उसी चालान में जमा कर दी गई, भुगतान किये गये चैक की प्रति संलग्न प्रेषित है। उक्त राशि दिनांक 06.07.2021 को ई–पेमेंट (चैक) से की गई थी।

सहपत्रः– पत्रानुसार 5 सेट [illegible]

(एस.के. जाटव)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग दमोह

दमोह दिनांक 16/11/2021

पृष्ठां. क्र. 2121 कार्य / 2021

प्रतिलिपिः–
1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल।
2. मुख्य वन संरक्षक सागर वन वृत्त सागर
3. अनुविभागीय अधिकारी भजिया शीर्ष कार्य जबेरा

को संदर्भित पत्र पृष्ठां. क्र. 2 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(एस.के. जाटव)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग दमोह

कार्यालय वन मंडल अधिकारी [illegible]

FORM -11
(for Projects other than linear project)
Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Damoh (M.P.)

******

Memo. 2952

Dated. 07-12-17

TO WHOWSOERVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that **55.30** Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **E.E. W.R.D Damoh** (name of user agency) for **PARNA TANK SCHEME** (purpose of divretion of forest land) in **Damoh** district falls within jurisdiction of **PARNA** village(s) in **JABERA** tehsils.

It is further certified that:-

(a) The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **55.30** hectares of forest area proposed for divertion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Grama Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s), and the District Level Committee are enclosed as annxure ..... to ....annxure

(b) The perposal for such diversion (with full details of the project and its implication in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Gram Shabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **PARNA** village(s) is enclosed as annxure .. to .. annxure

(d) The discussion and decision on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha presents.

(e) The diversion of forest land for the facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl .: As above.

(Dr. Shriniwas Sharma)
Collector
Damoh M.P.

Executive Engineer
Water Resources Division
Damoh

कार्यालय कलेक्टर दमोह

रा0 प्र0 क्र. 2 अ/59 वर्ष 2012-13

मोजा (1) दिनारी पटवारी ह.न. 1 तहसील तेंदूखेड़ा जिला दमोह
(2) देवरी लीलाधर पटवारी ह. न. 3 तहसील तेंदूखेडा जिला दमोह

विषयः- शासन के विभिन्न जलाशय योजनाओं के अंतर्गत आने वाले वनभूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण वाबत्।

आदेश

(आज दिनांक 16 अप्रैल 2013 को पारित)

कार्यालय वनसंरक्षक पदेन वन मण्डल अधिकारी दमोह ने पत्र क्र. मा.चि/4892, दमोह दिनाक 17.12.2012 एवं क्र. 838 दिनांक 22.03.2013 द्वारा लेख किया है कि दमोह जिले में जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के बदले ग्राम पिपरिया टीकाराम तहसील तेंदूखेड़ा की शासकीय भूमि ख.न. 238, 245, 246, 247, 271, 273, 274, 275, 272, 239, 240, 243, 242 कुल रकवा 194 हे0 उक्त प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी जो परीक्षण उपरांत वन भूमि पाई गई तथा इन भूमियों की म0प्र0 शासन द्वारा संरक्षित वन खण्ड से आरक्षित वन खण्ड बनाने के आशय की अधिसूचना क्र. 13198-10564-10 दिनांक 24.12.1966 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। अतः कृपया उक्त हस्तांतरित भूमि का आदेश निरस्त करने का कष्ट करें। इसी परिपेक्ष्य में तहसील तेंदूखेड़ा अंतर्गत ग्राम दिनारी पटवारी ह. न. 1 के ख. न. 655 रकवा 114.35 हे0 एवं ग्राम देवरी लीलाधर पटवारी ह. न. 3 के खसरा न. 442 रकवा 41.330 हे0 दोनों भूमियाँ शासकीय अभिलेख में पहाड़ चट्टान दर्ज है, वन क्षेत्र से लगी होने एवं वनीकरण हेतु उपयुक्त होने से वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु लेख किया है।

वन विभाग के उपरोक्त पत्र को विचार में लेकर तहसीलदार तेंदूखेडा से ग्राम दिनारी एवं देवरी लीलाधर की प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु जाँच प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार तेंदूखेडा ने प्रकरण क्र. 1970 ब/121 वर्ष 12-13 अनुसार प्रतिवेदन दिनांक 15.04.2013 अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेड़ा के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रतिवेदनानुसार ग्राम दिनारी की भूमि खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे0 पहाड़ी क्षेत्र है, जो वनीय पौधारोपण हेतु उपयुक्त है। इस भूमि में किसी प्रकार का सार्वजनिक निस्तार नहीं है, आवागमन हेतु उपयोग किये जा रहे मार्गो पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नही होगा। ठीक इसी प्रकार ग्राम देवरी लीलाधर की भूमि खसरा नं. 442 रकवा 41.33 हे0 भूमि पहाड़ी है, वन

2/-

Executive Engineer
Water Resources Division
Damoh

पौधारोपण हेतु उपयुक्त है। किसी प्रकार सार्वजनिक आम निस्तार में उपयोग नहीं हो रही है।
प्रश्नाधीन भूमि पर आवागमन हेतु पक्की सड़क है। जिसका आम उपयोग हो रहा है। शेष भाग
रिक्त है। दोनों भूमियाँ मद पहाड़ चट्टान की हैं। दोनों भूमियों का स्थल निरीक्षण वन संरक्षक
पदेन वनमण्डल अधिकारी दमोह, परिक्षेत्राधिकारी तेजगढ़, पटवारी एवं अन्य के साथ किया
जाकर संयुक्त निरीक्षण। टीप प्रकरण में सलग्न की गई है। प्रश्नाधीन दोनों भूमियाँ वन विभाग
की सरहद से लगी हुई है। अतः वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने में किसी प्रकार की
आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवरण के आधार पर संयुक्त निरीक्षण पश्चात चयनित
भूमि ग्राम दिनारी पटवारी ह. नं. 1 खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे0 एवं ग्राम देवरी लीलाधर
पटवारी ह. नं. 3 की भूमि खसरा नं. 442 रकवा 41.33 हे0 कुल रकवा 155.68 हे0 वन विभाग
के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने, ग्रामवासियों का आम निस्तार प्रभावित नहीं होने, प्रचलित
मार्गो पर वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवरोध नहीं करने की दशा में शासन द्वारा
विभिन्न परियोजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदले म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा
237(1) के तहत तैयार निस्तार पत्रक में मद पहाड़ चट्टान से पृथक करते हुये राजस्व पुस्तक
परिपत्र खण्ड चार– क्रमांक–2 की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने
हेतु प्रस्तावित किया है। अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेड़ा ने तहसीलदार तेंदूखेडाके प्रतिवेदन
की पुष्टि करते हुये प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने की अनुशंसा सहित
प्रकरण प्रस्तुत किया हैं।

तहसीलदार तेंदूखेडाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेड़ा की अनुशसा टीप, प्रकरण में सलग्न संयुक्त स्थल निरीक्षण टीप सहित प्रकरण का परीक्षण किया। दमोह जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित जलाशयों में वन विभाग की भूमि का उपयोग किया गया है। इसी तारतम्य में उक्त भूमियों के बदले वन विभाग द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का हस्तांतरण करने की मांग की गई है। ग्राम दिनारी ह. न. 1 की शासकीय भूमि खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे0 एवं ग्राम देवरी लीलाधर ह. नं. 3 की शासकीय भूमि खसरा नं. 442 रकवा 41.33 हे0 वन विभाग की सीमा से लगी हुई एवं वन विभाग के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई। प्रचलित मार्गो पर वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवरोध न करने की दशा में इन भूमियों का वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने से ग्रामवासियों के आम निस्तार प्रभावित नहीं होगें। चूँकि प्रस्तावित भूमि निस्तार पत्रक में मद पहाड़ चट्टान दर्ज है। अतएव निर्धारित मद पहाड चट्टान से पृथक करते हुये वन विभाग को वन भूमि के बदले गैर वन भूमि अंतरित किया जाना उचित पाता हूं। तहसीलदार तेंदूखेडा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रस्तावित भूमि ग्राम दिनारी खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे0 एवं ग्राम देवरी लीलाधर खसरा नं. 442 रकवा 41.33 हे0 योग रकवा 168.68 हे0 प्रस्तावित किया है जबकि दोनों ग्रामों की भूमियों का वास्तविक योग (114.35+41.33 हे0) 155.68 हे0 होता है अतएव वास्तविक रकवा 155.68 हे0 ही वन विभाग को हस्तांतरित किया जा सकेगा। पूर्व में इस कार्यालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 5

... 3/

Executive Engineer
Water Resources Division
Damoh

अ/59 वर्ष 10–11 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2011 के अनुसार जलसंसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को 194 हे0 गैर वन भूमि हस्तांतरित की गई थी। किन्तु यह भूमि पूर्व से वन विभाग दर्ज होने से वन विभाग को अंतरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी भूमि के बदले वन विभाग को ग्राम दिनारी एवं देवरी लीलाधर की 155.68 हे0 भूमि अंतरित की जाना है।

उपरोक्त विवेचनानुसार दमोह जिले में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदले तहसील तेंदूखेडा अंतर्गत ग्राम दिनारी पटवारी हल्का नं. 1 खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे0 एवं ग्राम देवरी लीलाधर पटवारी ह. नं. 3 खसरा नं. 442 रकवा 41.33 हे0 शासकीय भूमि म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत पहाड़ चट्टान मद से पृथक करते हुये प्रचलित मार्गों पर वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार अवरोध न करने की शर्त पर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार–क्रमांक–2 की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। तहसीलदार तेंदूखेडा विधिवत् पटवारी अभिलेख संशोधित कर वन विभाग को भूमि का आधिपत्य दिलाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

इस न्यायालय के प्रकरण क्र. 5 अ/59 वर्ष 2010–11 के आदेश दिनांक 26.09.2011 जिसके द्वारा ग्राम पिपरिया टीकाराम ह. नं. 1 तहसील तेंदूखेड़ा की शासकीय भूमि खसरा नं.238, 245, 246, 247, 271, 273, 274, 275, 272, 239, 240, 243, 242 कुल रकवा 194 हे0 वन विभाग को अंतरित किया गया है, निरस्त किया जाता है। तहसीलदार तेंदूखेड़ा तदनुसार पटवारी अभिलेख संशोधित करें।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)
कलेक्टर दमोह

पृ.क्र. क/रीडर–कलेक्टर/2013 199 दमोह दिनांक 16 अप्रैल 2013

प्रतिलिपि:–

1. वन संरक्षक, पदेन वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल दमोह को उनके पत्र क्र. 838 दिनांक 22.03.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग, दमोह को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार तेंदूखेड़ा जिला दमोह को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
दमोह

1964
17/4/13

T/S
17.4.13

Executive Engineer
Water Resources Division
Damoh

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह

Tel.07812 – 222779(O), 07812-229236(Fax) wrddamoh@Gmail.com

पत्र क्र. 3013/कार्य./2017 दमोह दिनांक 15/12/2017

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(कक्ष भू-प्रबंधन)
सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :- जिला दमोह अंतर्गत पारना लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 55.30 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. /एफ-3/86/2017/10-11/12/3661 भोपाल दिनांक 4.12.2017

---oo---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में दर्शित कमियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है :-

बिन्दु क्र	कमियाँ का विवरण	निराकरण
1.	प्रस्ताव में भाग-1 के बिन्दु क्रमांक D(i) में अन्य विकल्पों का अध्ययन संबंधी तुलनात्मक गणना पत्रक संलग्न नही है। संलग्न करें। सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट पर अन्य विकल्पों को दर्शाने वाला नक्शा अतिरिक्त सूची में संलग्न किया है। इसे भी बिन्दु क्रमांक D(i) में संलग्न किया जाये।	प्रस्ताव में भाग-1 के बिन्दु क्रमांक D(i) में अन्य विकल्पों का अध्ययन संबंधी तुलनात्मक गणना पत्रक संलग्न है। सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट पर अन्य विकल्पों को दर्शाने वाला नक्शा D(i) में संलग्न किया गया है।
2.	प्रस्ताव में भाग-1 के बिन्दु क्रमांक L(iv)(f) में कलेक्टर, दमोह का गैर वनभूमि दिये जाने से संबंधित आदेश दिनांक 16.04.2013 संलग्न किया गया है। इस आदेश में पारना लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 55.3 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में गैर वनभूमि दिये जाने का उल्लेख नही है। अतः पारना लघु सिंचाई परियोजना के लिये कलेक्टर दमोह का गैर वनभूमि हस्तांतरण का आदेश संलग्न करें।	बिन्दु क्रमांक L(iv)(f) में कलेक्टर, दमोह का गैर वनभूमि दिये जाने से संबंधित आदेश दिनांक 16.04.2013 संलग्न किया गया है। कलेक्टर के उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-25-2/2016/10-3 दिनांक 2.3.2016 जारी की गई थी(प्रति संलग्न है) जिसके पैरा क्रमांक 2 में-(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार में स्पष्ट उल्लेखित है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह की स्वीकृत परियोजना बांसाकलां जलाशय परियोजना में प्रभावित 27.79 हेक्टेयर वनभूमि, करारिया जलाशय परियोजना में प्रभावित 6.95 हेक्टेयर वनभूमि, बडेरा जलाशय परियोजना में प्रभावित 22.10 हेक्टेयर बडे झाड की राजस्व वनभूमि तथा प्रस्तावित पारना जलाशय परियोजना में प्रभावित 55.59 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 114.35 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपयोक्त वर्णित भूमि 114.35 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र/रा.प्र.क्र.02-अ/56 वर्ष 2012-13 दिनांक 16.4.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित।

अतएव उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण कर सादर संप्रेषित है।

सहपत्र :- पत्रानुसार

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, दमोह

Executive Engineer
Water Resources Division
Damoh

TECHNICAL SECTION

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 02/03/2016

क्रमांक एफ–25–2/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N $23^0$36'41.2" से N $23^0$37'41.4" उत्तर अक्षांश तथा E $79^0$30'54.8" से E $79^0$31'13.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला	–	दमोह	तहसील	–	तेन्दूखेड़ा
वनमण्डल	–	दमोह (सा0)	वन परिक्षेत्र	–	तेजगढ़

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	भैंसखार दक्षिण	दिनारी	पहाड़ चट्टान	655	114.35	उत्तर – संरक्षित वनखण्ड 57 भैंसखार के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 122 की दक्षिणी सीमा के मुनारा क्रमांक 133/6 से 125/6 तक कृत्रिम वन सीमा
						पूर्व – मुनारा क्रमांक 125/6 से 99 तक संरक्षित वनखंड 54 कटंगी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 117 की पश्चिमी कृत्रिम वन सीमा एवं आरक्षित वनखंड 50 परासई के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 145 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रमांक 99 से 89 तक कृत्रिम वन सीमा
						दक्षिण – आरक्षित वनखंड 50 परासई के कक्ष क्र. आर.एफ. 144 की उत्तरी सीमा के मुनारा क्र. 89 से 84 तक कृत्रिम वन सीमा
						पश्चिम – मुनारा क्रमांक 84 से 12 तक एवं मुनारा क्रमांक 12 से 133/6 तक प्रस्तावित संरक्षित वनखंड की कृत्रिम वन सीमा जो ग्राम दिनारी की राजस्व भूमि (कृषि भूमि) की पूर्वी सीमा हैं।

Executive Engineer
Water Resources Division
Damoh

Scanned by CamScanner

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6MPC013/2012-BHO/1280 दिनांक 14.07.2014 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6MPC061/2012-BHO/919 दिनांक 25.04.2014 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6MPC019/2012-BHO/1284 दिनांक 15.07.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार क्रमशः कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह की स्वीकृत परियोजना बांसाकला जलाशय परियोजना में प्रभावित 27.79 हेक्टेयर वनभूमि, करारिया जलाशय परियोजना में प्रभावित 6.95 हेक्टेयर वनभूमि, बडेरा जलाशय परियोजना में प्रभावित 22.10 हेक्टेयर बड़े झाड़ की राजस्व वनभूमि तथा प्रस्तावित पारना जलाशय परियोजना में प्रभावित 55.59 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 114.35 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 114.35 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र.02–अ/59 वर्ष 2012–13 दिनांक 16.04.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण :– निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार तेन्दूखेड़ा, जिला–दमोह के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:–

1. <u>व्यक्तिगत अधिकार :–</u> उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. <u>सामुदायिक अधिकार :–</u> उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

Executive Engineer
Water Resources Division
Damoh

Scanned by CamScanner

Geo Reference map of Proposed Revenue Land 55.59 ha. Instead of Proposed Parna Minor Irrigation Project Damoh Division

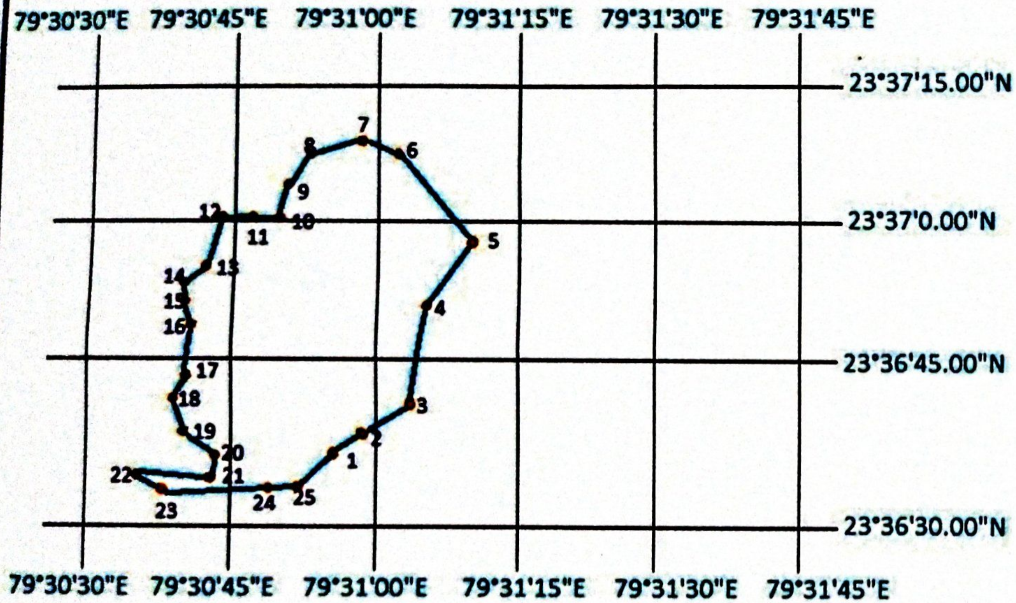

GPS Reading of Proposed Revenue Land for CA

1	79.51456983425159E	23.60922927819246N
2	79.51525828437842E	23.60957232184957N
3	79.51658094155137E	23.61013349675385N
4	79.51723127199367E	23.61249453613841N
5	79.51863726682383E	23.6139908953815N
6	79.51690946781264E	23.61716751952715N
7	79.51583842214815E	23.61775820748173N
8	79.51446526805297E	23.61768324351597N
9	79.51372518048925E	23.61687066480305N
10	79.51343938635644E	23.61608252517286N
11	79.51279597896554E	23.61604162305648N
12	79.51189344109369E	23.6161343027845N
13	79.51136570414656E	23.6149181601333N
14	79.5108631264463E	23.6145404581918N
15	79.51090799084581E	23.61401963614284N
16	79.5110896631582E	23.61325493182702N
17	79.5109083248294E	23.6120100611473N
18	79.51059918428906E	23.61143127831683N
19	79.51083237199195E	23.61052468137434N
20	79.51161631074461E	23.60979492762738N
21	79.51145383570275E	23.6092694298937N
22	79.50964596204587E	23.60974222900765N
23	79.5102983305564E	23.60930310388383N
24	79.51359659286796E	23.6087220683942N
25	79.51435124596726E	3.60850744529349N

Division - Damoh
Village -Dinari
Tehsil- Tendukheda
Khasra No -655
Proposed Revenue Land 55.59 ha.

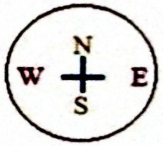

(R.C.Tivari)
Executive Engineer
Water Resources Division Damoh

Executive Engineer
Water Resources Division
Damoh

प्रभावित वन भूमि का नेट प्रजेन्ट भुगतान हेतु वचनपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह द्वारा प्रस्तावित पारना जलाशय लघु सिंचाई योजना बांध निर्माण के डूब क्षेत्र प्रभावित वन भूमि 55.30 हेक्ट. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार / प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू के भुगतान हेतु एवं भविष्य में एन.पी.व्ही. पुनरीक्षित होने पर अतिरिक्त देय राशि के भुगतान हेतु जो शर्त निर्धारित की जाती है, तो आवेदक संथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह भुगतान हेतु वनचवद्ध होगा।

(आर.सी.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग दमोह

Sub Divisional Officer Madhya Pradesh Water Resources Department Bhajiya Head Work Sub Division Jabera Distt. Damoh (M.P.)

Certificate of Undertaking-NPV

MPWRD (Bhajiya Head Work Sub Division Jabera Distt. Damoh) heare by give undertaking to pay Additional amount of the NPV of the diverted land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of report from the Expert Ccmmittee, for construction of Dam and canals in Parna village by MPWRD (Bhajiya Head Work Sub Division Jabera Distt. Damoh)

Sub Divisional Officer
Bhajiya Head Work
Sub Division Jabera Distt. Damoh